"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च 2008— फाल्गुन 24, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री विजयेन्द्र, भा. प्र. से. (एएम : 1991), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुये अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है तथा इन्हें साथ ही आयुक्त, सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री के. श्रीनिवासुलु, भा. प्र. से. (एसके : 1994), संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं पदेन विशेष सचिव, वित्त एवं योजना विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं योजना विभाग पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री रजत कुमार, भा. प्र. से. (2005), अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़, जिला-रायगढ़ की सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से (1978), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा समन्वयक महिला कल्याण कार्यक्रम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर पदस्थ किया जाता है. उक्त पद पर श्री राधाकृष्णन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत मुख्य सचिव के वेतनमान का संवर्गीय पद, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से. (1991), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग, संचालक, बजट, संचालक, संस्थागत वित्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त पदस्थ किया जाता है. इसके साथ ही इन्हें आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, संस्कृति तथा पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

श्रीमती रेणु जी. पिल्ले द्वारा सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री एन. के. असवाल, प्रमुख सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), मुख्य सचिव के उपसचिव तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य सचिव के उप-सचिव तथा उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (भा. प्र. से. स्थापना) पदस्थ किया जाता है.

4. श्री आर. पी. एस. त्यागी, भा. प्र. से., उप-सचिव, मुख्यमंत्री, को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2008

क्रमांक 987/397/2008/1/2.—श्री पि. रमेष कुमार, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 11-02-2008 से 15-02-2008 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10, 16 एवं 17 फरवरी, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पि. रमेष कुमार आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पि. रमेष कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पि. रमेष कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2008

क्रमांक ई-7/1/2007/1/2.—श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, कोरिया को दिनांक 27-08-2007 से 30-08-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 26-8-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री एस. प्रकाश को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2008

क्रमांक 1580/9399/2007/20 .—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (2) के उपखंडों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय आदेश क्रमांक 6481/9399/2007/20 दिनांक 23-11-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त कंडिका 5 क्रमांक 1 में अंकित श्री सुरेन्द्र साहू, ग्राम लूंगे, पों.-छोट करेली, विकासखण्ड मगरलोड, जिला-धमतरी के द्वारा त्याग पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण उनका त्यागपत्र स्वीकृत करते हुए उनके स्थान पर श्रीमती श्वेता शर्मा पति श्री संजय शर्मा को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्य रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जाता है.

उपरोक्त नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि इस अधिसूचना के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिबियाना तिर्की, अवर सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2008

क्रमांक एफ-1 (ए) 1/02/स्था/चार.— छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची के पैराग्राफ (ङ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में-

पैरा (ङ) के सरल क्रमांक 11 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये -

"12. छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर (छ. ग.),

13. रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर (छ. ग.).".

Raipur, the 28th February 2008

No. F-1 (A) 1/02/EST/FOUR .— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973) the State Government hereby, makes the following further amendment in paragraph (E) of the Schedule of the said Adhiniyam namely :-

AMENDMENT

In the said schedule-

After serial number 11, in the para (E) the following serial number shall be added.

"12. Chhattisgarh Textbook Corporation, Raipur (C. G.),

13. Raipur Development Authority, Raipur (C. G.)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2008

क्रमांक एफ 7-1/2004/12.— राज्य शासन एतद्द्वारा, खान एवं खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1957(1957 का सं. 67) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, रिकोनेन्स परमिट/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति, खनिपट्टा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म में प्राप्त आवेदन पत्रों पर खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 5 (2) 12 (1-बी) तथा नियम 26 (3) के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2008

क्रमांक 1629/25-2/आजावि/2008.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 के अध्याय दो की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्यों को नियुक्त करता है :

क्र.	नाम/स्थान	पद
(1)	डॉ. गणेश कौशिक, रायपुर	सदस्य
(2)	श्री देवेन्द्र जयसवाल, दुर्ग	सदस्य
(3)	श्री प्रहलाद रजक, बेमेतरा	सदस्य
(4)	श्री सोमनाथ यादव, बिलासपुर	सदस्य
(5)	श्री नंदकुमार साहू, रायपुर	सदस्य

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2008

क्रमांक/1631/25-2/आजावि/2008.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के संविधान की धारा 7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 6 के अंतर्गत निम्नानुसार पदाधिकारियों को मनोनीत करता है :

क्र.	नाम/स्थान	पद
(1)	श्रीमती शहनाज बेगम	अध्यक्ष
(2)	श्री सादिक यजदानी, महासमुंद	सदस्य
(3)	जनाब जमालद्दीन, खड़गंवा, कोरिया	सदस्य
(4)	जनाब अकरम कुरैशी, नंदई चौक, राजेन्द्रनगर, राजनांदगांव	सदस्य
(5)	श्री एम. ए. रहीम, शांतिनगर, जगदलपुर	सदस्य
(6)	श्री सैयद् सैफुद्दीन (बबलू) गणेशनगर, वा. क्र. 39, बिलासपुर	सदस्य
(7)	श्री शकील अहमद, करबलापारा, जूना बिलासपुर, बिलासपुर	सदस्य
(8)	जनाब आशीष मेनन, राजापारा, कांकेर	सदस्य
(9)	जनाब सलामुद्दीन कुरैशी, दुर्ग	सदस्य
(10)	जनाब जुनैद खान, नैला जांजगीर	सदस्य
(11)	जनाब अब्दुल हफीज, सुभाषनगर, मौदहापारा, रायपुर (उर्दू के खिदमतगार)	सदस्य
(12)	जनाब मिर्जा साजिद खान, छोटापारा मस्जिद के पीछे, रायपुर (उर्दू के खिदमतगार)	सदस्य
(13)	जनाब मो. नासिर खान, कस्तूरबानगर, बिलासपुर (उर्दू विद्वान)	सदस्य

2. माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उर्दू अकादमी के चीफ पेट्रन तथा माननीय मंत्री, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, उर्दू अकादमी के पेट्रन होंगे.

3. अकादमी के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जनवरी 2007

क्रमांक /क/ भू-अर्जन/23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध लागू नहीं होगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	अमलडीहा	0.15	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, नंदेली.	मुक्ता वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 जनवरी 2007

क्रमांक /क/ भू-अर्जन/24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध लागू नहीं होगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	मडवा	2.42	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, नंदेली.	मडवा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2008

क्रमांक - 154 / भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	किरारी	0.78	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, नंदेली.	पुटीडीह माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 मार्च 2008

क्रमांक /482 / भू-अर्जन/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंड़ी उपरोड़ा	रामपुर	71.267	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोरबा (छ. ग.)	रामपुर जलाशय योजना में डूबान एवं शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 मार्च 2008

क्रमांक /484 / भू-अर्जन/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जढगा	5.74	अनुविभागीय अधिकारी, (लोक निर्माण विभाग), कटघोरा क्र. 02.	सड़क निर्माण कार्य
		घुमानीडांड	4.58		
		करगामार	3.02		
		पचरा	3.24		
		योग	**16.50**		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक -3/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिल्लीबंद प. ह. नं. 14	8.061	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2008

क्रमांक -4/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमाली प. ह. नं. 14	15.463	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सेल्का व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2008

क्रमांक - 36 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पथरिया	सल्फा	0.334	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	ताला एनीकट के सुरक्षात्मक निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2008

क्रमांक /15/ले. पा./भू-अर्जन/08.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	गाडाभाठा प. ह. नं. 23	7.08	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, बेमेतरा.	मोहंतरा से देउरगांव मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक /465/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	मलकुंवर प. ह. नं. 30	0.75	मुख्य अभियंता निर्माण, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर नई रेल्वे लांईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक /467/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	अवारी प. ह. नं. 32	0.09	मुख्य अभियंता निर्माण, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक /469/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	डौण्डी प. ह. नं. 32	0.42	मुख्य अभियंता निर्माण, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक /471/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	गुदुम प. ह. नं. 33	0.15	मुख्य अभियंता निर्माण, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक /473/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	संबलपुर प. ह. नं. 24	0.04	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	उद्वहन सिंचाई योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक /475/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	खैरवाही प. ह. नं. 30	0.97	मुख्य अभियंता निर्माण, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे, बिलासपुर.	दल्लीराजहरा-रावघाट जगदलपुर नई रेल्वे लाईन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 24 अक्टूबर 2007

प्र. क्र. 04/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	घुघरीकला प. ह. नं. 21	0.381	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायपुर (छ. ग.)	कवर्धा-कोठार मार्ग के सकरी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 जनवरी 2008

प्र. क्र. 05/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	खोलवा प. ह. नं. 56	5.320	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 जनवरी 2008

प्र. क्र. 06/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	पेन्ड्रीतराई प. ह. नं. 56	3.152	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत नूनछापर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 जनवरी 2008

प्र. क्र. 07/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	पवनतरा प. ह. नं. 50	0.198	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में

कबीरधाम, दिनांक 30 जनवरी 2008

प्र. क्र. 08/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	पवनतरा प. ह. नं. 46	1.910	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 जनवरी 2008

प्र. क्र. 09/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	टाटावाही प. ह. नं. 56	2.509	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत नूनछापर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 10/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सुरजपुरा प. ह. नं. 56	2.248	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत नूनछापर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 11/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खांने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	नूनछापर प. ह. नं. 57	1.621	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत नूनछापर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 12/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भादूटोला प. ह. नं. 50	4.330	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 13/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सिंघनपुरी प. ह. नं. 46	0.235	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 14/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सिंघनपुरी प. ह. नं. 56	2.521	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 15/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कटोरी प. ह. नं. 56	2.092	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 16/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हे कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	चनाटोला प. ह. नं. 58	1.940	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 17/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कुम्हारी प. ह. नं. 56	0.988	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत नूनछापर वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 18/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मोतिमपुर प. ह. नं. 49	1.018	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 फरवरी 2008

प्र. क्र. 19/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कामनबोड़ प. ह. नं. 55	2.498	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र. 11/अ-82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा (5) (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	गुढ़ियारी प. ह. नं. 107	1552/1 (घ) 230 वर्ग मीटर	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	रेल्वे अन्डर ब्रिज निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 14 फरवरी 2008

प्र. क्र.-11/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-गगरिया खम्हरिया, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.915 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/7	1.417
6/3	0.587
1/6	1.417
11/8	0.648
11/6	0.910
11/7	0.096
11/5	0.566
33/6	0.196
32/1	0.255
32/3	0.162
32/5	0.255
32/8	0.130
1/9	0.453
6/6	1.012
10	0.426
11/1	1.376
11/3	0.191
11/10	0.405
12/1	0.825
33/5	0.461
32/9	0.186
32/6	0.089
32/7	0.130
32/11	0.233
6/5	1.012
6/1	0.263
11/4	1.700
11/12	1.214
11/2	0.190
11/9	0.405
33/1	0.196
33/4	0.461
32/2	0.146
32/4	0.255
32/10	0.186
34/1	0.461
योग	18.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय के अतिरिक्त डूबान.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 फरवरी 2008

क्रमांक-247/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मसनिया कला, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.109 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.109
योग	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गढ़गोढ़ी उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक /10/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-तखतपुर
(ग) नगर/ग्राम-तुरकाडीह, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.987 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
449	0.045
450	0.036
451/1	0.032
451/2	0.032
448/2	0.045
455/4	0.109
455/2	0.368
453/1	0.016
453/2	0.016
453/3	0.016
443/3	0.162
454/1	0.057
437/9	0.069
437/8	0.069
437/10	0.077
437/4	0.040
437/6	0.040
436/2	0.061
436/3	0.040
210/2	0.032
209	0.016
208/1	0.040
208/3	0.040
207/1 क	0.061
207/1 ग	0.101
206/1 ख 206/1 ग	0.162
206/3	0.121
204/2	0.053
204/3 204/4	0.142
203/2	0.129
202/1	0.016
202/2	0.085
182	0.121
200/2	0.162
186/1	0.040
201/6	0.040
187/1	0.142
437/7	0.081
437/1	0.069
योग	2.987

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरी-तुरकाडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/13/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हांफा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.821 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/2	0.081
6	0.049
7	0.154
8	0.040
9/1	0.089
9/2	0.356
9/4 9/6	0.016
10	0.040
18/1 19/15	0.008
20 21	0.202
24/4	0.210
26	0.275
27/1	0.024
33	0.008
67	0.105
36 37	0.073
35	0.186
57/2	0.081
34	0.081
58	0.134
59/1	0.158
62	0.152
69/1	0.008
70/4	0.162
68	0.340
70/1 77 78 79 80 70/2 71 72 73	0.745
69/2	0.008
70/3	0.032
योग	3.821

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरी-तुरकाडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/11/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लोखण्डी, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.465 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
103/1	0.251
103/2	0.101

(1)	(2)
59/1	0.405
103/4	0.150
103/6	
103/5	0.202
130	0.065
128	0.028
129	0.057
103/3	0.012
125	0.024
126	0.032
127	0.036
118	0.024
117/2	0.061
87	0.186
86/1	0.045
86/2	0.065
85	0.202
51	0.101
50	0.138
68	0.162
59/3	0.016
58/2	0.105
59/2	0.194
60	0.166
54/3	0.158
52/2	0.061
49	0.057
44	0.049
48	0.081
47/1	0.053
46	0.121
47/2	0.053
45	0.170
34	0.065
33/2	0.121
33/3	0.073
214/1	0.032
214/2	0.057
57	0.186
54/2	0.142
54/3	0.142
55	0.016
योग	4.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरी-तुरकाडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2008

क्रमांक/28/भू-अर्जन/आ. वि. अ./9 अ/82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुंद
(ग) नगर/ग्राम-रायतुम, प. ह. नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
924	0.01
1016	0.02
981	
1016	0.08
805	0.23
1101	0.10
1101	0.01
805	0.04
1016	0.03
805	0.02
805	0.23
805	0.01
805	0.03
805	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
1016	0.05	798	0.01
1016	0.01	805	0.04
1016	0.04	684	0.01
805	0.02	805	0.05
805	0.03	805	0.02
1101	0.03	662	0.04
805	0.03	662	0.03
1016	0.04	806	0.01
1091	0.04	805	0.01
1164	0.04	1327	0.11
1101	0.10	1176	0.01
1016	0.08	1201	0.01
1016	0.08	1686	0.11
1094	0.04	1304	0.01
1180	0.04	1327	0.09
1101	0.16	1327	0.05
1101	0.04	1327	0.09
750	0.03	1327	0.05
1016	0.09	1567	0.01
986	0.02	1327	0.12
1016	0.04	1620/2	0.01
1101	0.04	1327	0.06
1100	0.02	1327	0.07
1101	0.10	1327	0.05
1101	0.03	1686	0.04
1010	0.04	1686	0.07
1016	0.08	1596	0.01
762	0.03	1686	0.21
766	0.03	1686	0.02
1016	0.22	1686	0.16
805	0.02	1676/1	0.01
1101	0.02	1686	0.29
662	0.01	1686	0.07
662	0.06	1686	0.01
662	0.08	1686	0.01
662	0.02	1200	0.02
831	0.04	1176	0.03
805	0.21	1686	0.05
662	0.05	1176	0.07
661	0.02	1329/1	0.02
662	0.04	1166	0.01
662	0.05	1176	0.05
819	0.03	1181	0.01
662	0.09	1176	0.12
805	0.07	1187	0.01
797	0.05	1232	0.01

(1)	(2)
1176	0.04
1327	0.03
1327	0.06
1686	0.04
1327	0.02
1327	0.04
1686	0.05
1176	0.04
1174	0.02
1176	0.04
1175	0.02
1176	0.01
1228	0.02
1176	0.08
1197	0.01
1176	0.01
1233/1	0.01
1176	0.06
1686	0.04
1176	0.01
1327	0.05
1327	0.03
1327	0.03
1330	0.01
1176	0.01
योग 131	6.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कछारडीह जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2008

क्रमांक/ 29/भू-अर्जन/अ.वि. अ./02-अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 119/66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.30 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
286	2.30
योग	2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-आमगांव जलाशय के डुबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 फरवरी 2008

क्रमांक/30 /भू-अर्जन/अ.वि. अ/03-अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1.सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-गौरखेड़ा, प. ह. नं. 135
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.39 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.05
60	0.02
102	0.10
103	0.02
64	0.02
65	0.04
106	0.14
योग 7	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-गौरखेड़ा जलाशय के वेस्ट वियर क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक /461/33 अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-हुच्चेटोला, प. ह. नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.74 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	384	0.94
	388	0.05
	386/2	0.65
	387/1	1.10
योग	4	2.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 फरवरी 2008

क्रमांक/463/36 अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-खैरकट्टा, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.60 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	30	0.21
	01	0.61
	03	0.10
	05	0.28
	10	0.23
	27	0.36
	28	0.10
	155	0.39
	39	0.29
	154/2	0.03
योग	10	2.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 21 फरवरी 2008

क्रमांक 663/परि. अ./2008.—मैं डॉ रोहित यादव (आई. ए. एस.) कलेक्टर, सरगुजा (अम्बिकापुर) छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये, नगर पंचायत, कुसमी की वार्ड क्रमांक 02 के निर्वाचित पार्षद द्वारा स्वेच्छा पूर्वक दिया गया त्याग पत्र स्वीकार करता हूँ. जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित है.

अनुसूची

क्र.	निकाय का नाम	वार्ड क्र.	पार्षद का नाम जिनके द्वारा त्याग पंत्र दिया गया है	वार्ड के आरक्षण की स्थिति (वर्ग)	त्याग पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	त्याग पत्र प्रस्तुत करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगर पंचायत कुसमी	02	श्री युगेन्द्र सिंह	पिछड़ा वर्ग	29-10-2007	शिक्षाकर्मी वर्ग 03 में नियुक्ति प्राप्त होने के कारण.

रोहित यादव,
कलेक्टर सरगुजा.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 11 फरवरी 2008

क्रमांक/235/अधीक्षक/2008.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से क्रमांक 21 रायपुर गुरुवार दिनांक 03 जनवरी 2008 प्रकाशन अनुसार कोरबा जिले के विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा को नई तहसील पोड़ी उपरोड़ा के अस्तित्व में आने फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 708/अधीक्षक/2008 कोरबा दिनांक 17-01-2008 द्वारा जारी कार्यबंटन के अनुसार कटघोरा अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत तहसील कटघोरा एवं पाली के साथ-साथ नवीन तहसील पोड़ी उपरोड़ा से संबंधित राजस्व प्रकरण/आपराधिक प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का भी संपादन करेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 19 फरवरी 2008

क्रमांक/1986/अधीक्षक/2008.—सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का आदेश क्रमांक/बी-1-27/2007/एक/04 रायपुर दिनांक 25 जनवरी, 2008 अनुसार श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर का जिला कोरबा में पदस्थापना होने एवं कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/708/अधीक्षक/2008 कोरबा दिनांक 17-01-2008 को अधिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य निम्नानुसार कार्य बंटन/कार्य विभाजन किया जाता है :-

1. **श्री पी. एल. निहलानी, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर**

1. अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी
2. अपर कलेक्टर (नजूल)
3. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतन वृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
4. नोडल अधिकारी (खाद्य शाखा)

प्रभारी अधिकारी

1. लाइसेंस/पासपोर्ट
2. सांख्य लिपिक
3. भू-अर्जन/भूमि-बंटन
4. नगर सेना

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

2. **श्री आर. एक्का, संयुक्त कलेक्टर सिटी मजिस्ट्रेट**

प्रभारी अधिकारी

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य)
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय)
3. भाड़ा नियंत्रण
4. वाचक कलेक्टर
5. प्रोटोकाल
6. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
7. नजूल अधिकारी

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

3. **श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. जिला जनगणना अधिकारी
2. प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन
3. सहायक अधीक्षक सामान्य (पुरातत्व एवं पर्यटन, आर. बी. सी. के प्रकरण, सालेशियम फंड/संजीवनी)
4. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम

5. आपदा एवं राहत शाखा
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
7. दंगा पीड़ित 1984
8. कम्प्यूटर शाखा
9. नवोदय विद्यालय
10. सिटीजन हेल्प लाईन
11. जिला शहरी विकास अभिकरण
12. 20 सूत्रीय कार्यक्रम

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

4. **सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. जिला नाजिर
2. प्रतिलिपि शाखा
3. प्रपत्र/लेखन सामग्री एवं मुद्रण
4. अभिलेख, काष्ठ राजस्व/आंग्ल
5. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
6. आवक-जावक
7. वरिष्ठ लिपिक/अति. वरिष्ठ लिपिक
8. राजस्व मोहर्रिर
9. सहायक अधीक्षक राजस्व

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

5. **श्रीमती फरीहा आलम, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. साक्षरता
2. जिला परीयोजना समन्वयक (रा. गा. शि. मि.)
3. प्रशासन के उन्नयन के तहत जिले के विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

6. **श्री सियाराम कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. भू-अभिलेख
2. व्यवहारवाद
3. राजस्व आंकिक
4. अल्प बचत
5. पर्यावरण शाखा
6. सूचना का अधिकार
7. सहायक अधीक्षक विविध
8. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
9. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

7. **श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. वित्त एवं स्थापना
2. जनदर्शन/जनसंपर्क
3. विशेष कक्ष
4. स्वास्थ्य शाखा (कलेक्टर कार्यालय)

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

8. **श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा**

1. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील
कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी-
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

2. **आपराधिक**

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा-145 C. R. P. C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध.**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

9. **श्रीमती आर. संगीता आई. ए. एस./अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा**

1. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए).
3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)
8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. **आपराधिक**

1. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा-133 एवं धारा-145 C. R. P. C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खानां क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर	श्री आर. एक्का, संयुक्त कलेक्टर
2.	श्री आर. एक्का, संयुक्त कलेक्टर	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर
3.	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर	श्री आर. एक्का, संयुक्त कलेक्टर
4.	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर	श्री सियाराम कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
5.	श्रीमती फरिहा आलम, डिप्टी कलेक्टर	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री सियाराम कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर
7.	श्री के. के. शर्मा, डिप्टी कलेक्टर	श्री सियाराम कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर
8.	श्री एस. एन. राम, डिप्टी कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर
9.	श्रीमती आर. संगीता, आई. ए. एस.	श्री आर. एक्का, संयुक्त कलेक्टर

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

कबीरधाम दिनांक 30 अक्टूबर 2007

क्रमांक/1587/अ. भू. अ. /2007.—श्री सोनमणी बोरा, कलेक्टर, कबीरधाम छ. ग. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-6-01/सात-3/07 रायपुर दिनांक 12-1-2007 द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 में निहित शक्तियों के तहत संहिता की धारा 68,69,70 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप संबंधित धाराओं की शक्तियों का प्रयोग करते हुये कवर्धा के ग्राम रेंगाखारखुर्द प. ह. नं. 18 का पारा (मोहल्ला) बरपेलाटोला को ग्राम रेंगाखारखुर्द से अपवर्जित करके (बरपेलाटोला हेतु प्रस्तावित निम्नानुसार क्षेत्रफल, जनसंख्या समाविष्ट कर) पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया गया है :-

(1) ग्राम रेंगाखारखुर्द एवं बरपेलाटोला का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार होगी :-

क्र.	विवरण	रेंगाखारखुर्द	बरपेलाटोला
1.	ग्राम का कुल रकबा	422.42 एकड़	437.71 एकड
2.	खाते का रकबा	348.09 एकड़	358.03 एकड़
3.	गैरखाते एवं निस्तार का रकबा	66.87 एकड़	37.55 एकड़
4.	जनसंख्या	1117	1269
5.	मवेशी संख्या	331	404
6.	आबादी	7.46 एकड़	2.67 एकड़

(2) उपरोक्त अपवर्जन के फलस्वरूप जिला कबीरधाम के तहसील कवर्धा में राजस्व ग्रामों की संख्या 725 के स्थान पर 726 तथा जिले में कुल ग्रामों की संख्या 1012 के स्थान पर 1013 होगा.

सोनमणी बोरा,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ. ग.)

महासमुन्द दिनांक 16 जनवरी 2008

क्रमांक क/278/एस. सी.-1/2008.—नगरपालिका परिषद् महासमुन्द के वार्ड नं. 12 के पार्षद श्री विष्णु चन्द्राकर द्वारा व्यक्तिगत कारणों से नगर पालिका की बैठको में उपस्थित नहीं होने तथा भविष्य में भी उपस्थित रहने में असमर्थ होने के कारण अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् महासमुन्द को दिनांक 03-11-2007 को त्यागपत्र दिया गया है उक्त त्याग पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् महासमुन्द के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 30-11-2007 को प्राप्त हुआ है.

अत: छ. ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 (3) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार श्री विष्णु चन्द्राकर पार्षद का त्याण पत्र स्वीकार करते हुये उन्हें त्याग पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से उनके पद से हटांया जाता है.

एस. के. जायसवाल,
कलेक्टर.